राजस्थान सरकार

विधि प्रकोष्ठ-2, विभाग

संख्या-एफ.8(1)विधि-2/90 जयपुर, दिनांक 23, फरवरी, 91

आदेश

इस विभाग के पूर्व आदेश संख्या एफ23(2)ला/खेल-2, 11/87 दिनांक 15 अप्रेल 88 के अतिक्रमण में राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जो उनके स्वयं के पद कार्य के अतिरिक्त लोक अदालत से संबंधित कार्य करते हैं को प्रत्येक लोक अदालत के संबंध में दो दिन के वेतन के बराबर मानदेय संदाय की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मानदेय उसी मद से देय होगा जिस मद से कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते देय होते रहे हैं, यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं. 385 दिनांक 5.2.91 से सहमति जारी की जाती है।

आज्ञा से
एस.डी.
संयुक्त विधि परामर्शी
विधि रचना संगठन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न लिखित को प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर
2. वित्त (बजट) विभाग
3. वित्त (व्यय-11) विभाग
4. रजिस्ट्रार, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर
5. सचिव, राज. विधिक सहायता बोर्ड, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित विधिक सहायता समितियों को इसकी प्रति सरकुलेट करें।

एसडी /-
संयुक्त विधि परामर्शी
विधि रचना संगठन

कार्यालय सचिव, राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड, जयपुर

क्रमांक - 454 से 85 दिनांक - 04.04.91

प्रतिलिपि समस्त जिला विधिक सहायता समिति एवं विधिक सहायता समिति मय चार अतिरिक्त प्रति वास्ते आवश्यक सूचना एवं उप जिला स्तर विधिक सहायता समिति को सूचनार्थ प्रेषित है।

एडी /-
डी.एन. जोशी
सचिव
राज्य विधिक सहायता बोर्ड
राज. उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ, जयपुर